

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 26 2014/फाल्गुन 7, 1935

No. 69]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 26, 2014/PHALGUNA 7, 1935

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 2014

सं. 20-01/2012-रा.पं. (आन्ध्र प्रदेश).—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) की धारा 27 के खण्ड (1) के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निबन्धक, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 1299 दिनांक 25 जून, 2010 के द्वारा आन्ध्र आयुर्वेद परिषद्, विजयवाड़ा द्वारा वर्ष 1975 के पश्चात् प्रदान की गई वैद्य विद्वान, अर्हता के अब अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में वर्ष 1923 से 1975 तक मान्यताप्राप्त/सम्मिलित होने के कारण उक्त अर्हता धारक चिकित्साभ्यासियों के सम्बन्ध आन्ध्र प्रदेश, विहार, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु बोर्ड, उड़ीसा, कर्नाटक राज्यों से सम्बन्धित समस्त प्रविष्टियां, केन्द्रीय पंजिका से हटाता है ।

शमशाद बानो, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./124/13]

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

NOTIFICATION

New Delhi the 25th February, 2014

No. 20-01/2012-SR (A.P.).—In exercise of the powers conferred by provision of clause (1) of Section 27 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, (48 of 1970) the Registrar, Central

Council of Indian Medicine, New Delhi, delete all the entries from the Central Registers pertaining to Andhra Pradesh, Bihar, Gujarat, Maharashtra, Tamilnadu Board, Orissa, Karnataka States in respect of practitioners who are holders of Vaidya Vidwan qualification awarded by Andhra Ayurved Parishad, Vijayawada after the year 1975 as the said qualification has now been recognized/included in the Second Schedule to the said Act, from the year 1923 to 1975 by Notification No. 1299 dated 25th June, 2010, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii).

SHAMSHAD BANO, Officiating Secy.

[ADVT. III/4/Exty./124/13]